

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भोपालगढ
सुरेन्द्र सिंह (भा.पु.) बनाम गजेंद्र सिंह
 किस्म मुकदमा 45/2020 नं. 88,188 RT Act सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/02/2021	<p>पत्रावली में वादी के कायम मुकाम कर्पिव आधिकारिक दफ्तर प्राथमिक-पत्र बाबत पत्रावली प्राप्त तारीख पेशी में रखकर सुनवाई बाबत पेशी किया गया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया है तथा पत्रावली प्राप्त दिनांक 20/02/2021 को पेशी हुई। वादी के कायम मुकाम कर्पिव आधिकारिक द्वारा प्राथमिक-पत्र बाबत पत्रावली विद्यो करके लुप्त पेशी किया गया, फिलहाल मादरेनिका पर दस्तावेजों के निवेदन किया कि वादी एवं उत्तिकीय के बीच झगडा की प्राकृतिक शरीरनाश हो चुका है तथा वादी के कायम मुकाम वाद में मागिद करवाही नहीं चाहते हैं। अतः वादी का वाद संलग्नित 88,188 RT Act का जरिये विद्यो खारिज किया जाता है। पत्रावली केतन गुणा होकर फर्द नम्बर को कर होकर दारिज दफ्तर हो। निर्णय प्राप्त दिनांक 20/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p><i>(जरीर विद्यो)</i></p> <p><i>Mapil</i></p> <p><i>मादरेनिका पर दस्तावेज</i></p>

(Signature)
 सहायक कलक्टर
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 भोपालगढ (जोधपुर)

